रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

तीन बातें

तीन चीज़ें जीवन में एक बार मिलती हैं
माँ, बाप और जवानी
तीन चीज़ें परदे योग्य हैं
धन स्त्री और भोजन
तीन चीजों से ज़रुर बचना चाहिये
पर स्त्री, कुसंगत और निन्दा
तीन चीज़ों में मन लगाने से उन्नति होती है
ईश्वर, मेहनत और सेवा

Adv.
इस स्थान पर छोटा सा विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय में चार चाँद आप भी लगा सकते हैं।

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –24 ● कानपुर 16 से 31 दिसम्बर 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

अनिश्चितता समाप्त करायें मुख्यमंत्री

- शासनादेश को हो गये पांच वर्ष पूरे
- अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं
- मुख्यमंत्री लेंगे उचित निर्णय
- अनिश्चितता होगी समाप्त
- उपेक्षा समाप्त न होने पर आन्दोलन
- 45 दिन का दिया अल्टीमेटम
- हजारों चिकित्सकों का है प्रश्न

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के मध्य व्याप्त भ्रान्तियां अनिश्चितता के चलते समाप्त नहीं हो पा रही है फलस्वरूप हमारा चिकित्सक पूरी क्षमता के साथ चिकित्सा व्यवसाय मन लगाकर नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने एवं अनुसंधान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर एक नई दिशा प्रदान की थी जैसे ही यह शासनादेश जारी हुआ पूरे प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ हर्ष से झूम उठा हर एक के मन में एक नई उमंग थी सबके सब यही कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण प्राप्त हो गया है, हमें भी काम करने का वही अवसर मिला है जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को प्राप्त है।

मात्र चिकित्सक ही नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के छात्रों एवं इस विधा के समर्थकों के बीच भी खुशी की लहर दौड़ गयी थी, जो लोग हमसे जुड़े थे उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि चलो ठीक हुआ बहुत दिनों से लगे थे सरकार ने सुन ली, यह सब कुछ तो ठीक था लेकिन जब हमारे चिकित्सक अधिकार के साथ अधिकारिता मांगने लगे तो अधिकारियों का रूख बदल गया, अधिकारियों ने कहा कि शासनादेश तो हुआ है लेकिन इसका अनुपालन हम तभी करेंगे जब हमारे उच्च अधिकारी अर्थात महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 हमें निर्देशित करेंगे व 4 जनवरी 2012 के आदेश के अनुपालन के लिए हमें आदेशित करेंगे, यह सूचनायें जैसे ही बोर्ड के पास पहुँचीं बोर्ड ने पूरे प्रयास के साथ महानिदेशक से सम्पर्क साधा तथा निवेदन किया कि वह अपने स्तर से अपने अधीनस्थ को निर्देशित करें कि 4 जनवरी, 2012 के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, बोर्ड के इस निवेदन पर महानिदेशक ने ध्यान दिया और 02 सितम्बर, 2013 को एक पत्र समस्त अपर निदेशकों को सम्बोधित करते हुए लिखा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए जारी किये गये 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का परिचालन करायें, इसकी प्रति समस्तव मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की गई इस आदेश को सभी अपर महानिदेशकों को बोर्ड ने भी अपने स्तर से उपलब्ध कराया, इस आदेश की उपलब्धता के उपरान्त भी अधिकांश मुख्य चिकित्साधिकारियों ने इस विषय पर गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की, फलस्वरूप स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया, प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां अपने पंजीयन का आवेदन देना था।

चूंकि 4 जनवरी, 2012 का आदेश आ जाने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में आ चूकी है अस्तु इस विधा के चिकित्सकों ने भी अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्साधिारी कार्यालय में प्रेषित किये परन्तु कुछ चिकित्साधिकारियों को छोड़कर अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने आवेदन लेने में आनाकानी दिखायी परिणाम स्वरूप अधिकार होने के उपरान्त भी अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षा का क्रम जारी रहा कुछ अधिकारियों ने तो पराकाष्ठा ही पार कर दी। अलीगढ़, हापुड़ और बुलन्दशहर के चिकित्सा अधिकारियों ने तो बोर्ड की स्वीकारिता को ही नकार दिया और एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जो आदेश पारित ही नहीं हुआ इन सब घटनाओं को देखते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसि– एशन ऑफ इण्डिया ने संयुक्त रूप से हापुड़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर इस तरह की बातों के बारे में जानकारी चाही तब मुख्य चिकित्साधिकारी ने बड़ी ही चतुराई से यह कह कर अपना पीछा छुड़ाया कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 के आदेश का उन्हें संज्ञान नहीं है तथा उसकी प्रति बोर्ड से उपलब्ध कराने को कहा तथा साथ ही यह अश्वासन भी दिया कि उनके द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चिकित्सकों का पंजीयन के सन्दर्भ में वह उचित कार्यवाही करेंगे।

यद्यपि आज पंजीयन की स्थिति बदल चुकी है अब हर विधा के चिकित्सकों का पंजीयन उनका अपना विभाग करेगा और मुख्य चिकित्साधिकारी केवल एलोपैथी चिकित्सकों के पंजीयन का सन्दर्भ ग्रहण करेंगे चूंकि जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही जनपद का सबसे बड़ा चिकित्सा विभाग का अधिकारी होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जब तक कोई प्रथक व्यवस्था नहीं होती है तब तक पंजीयन का आवेदन हमारे चिकित्सक सी0एम0ओ0 के यहां ही प्रेषित करेंगे।

शासनादेश जारी हुए 5 वर्ष हो चुके हैं लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी उहा पोह से बाहर नहीं निकल पा रही है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है यह सत्य है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक धीर, गम्भीर, सहिष्णु व सहनशील हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं निकालना चाहिये कि हमारी उपेक्षा ही होती रहे, 5 वर्ष का समय बहुत होता है, परिस्थितियां और समय बदल रहा है एकतरफ तो हम मान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे अधिकारों पर लगातार उपेक्षा का क्रम जारी है।

कभी–कभी तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं यह सरकार में बैठे हुए अधिकारी इस चिकित्सा पद्धति को पुष्पित पल्वित नहीं होने देना चाहते हैं तभी प्राप्त अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं।

इन्हीं सब बातों को देखते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की स्थिति को गम्भीरता से देखते हुए सकारात्मक निर्णय लें जिससे कि अनिश्चितता समाप्त हो। अब जब कि सरकार लगभग हर विषय पर सकारात्मक निर्णय ले रही है तब प्रदेश के हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा निर्णय लिया जाये जोकि दूरगामी हो जिसके परिणाम हजारों चिकित्सकों के लिए हितकारी हों। निवेदन के साथ यह भी कहा गया है कि यदि 45 दिनों के अन्दर प्रदेश सरकार द्वारा हमें प्राप्त अधिकारों की अधिकारिता पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश का हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक आन्दोलन के लिए विवश होगा।

पाठ्यक्रम उच्चीकरण पर कार्यवाही शुरू

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा को मान्यता के अनुरूप रखने के लिए व नये आदेशों के अनुसार शैक्षिणक गतिविधि संचालित करने के लिए व अवधि का निर्धारण करने हेतु बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 कटिबद्ध है इसीलिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति की एक बैठक में यह निश्चित किया गया कि आने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए व मान्यता के लिए आवश्यक मानदण्डों को स्थापित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक परिवर्तन किये जाने हैं उसपर गम्भीरता से चिन्तन किया जाये और विषय विशेषज्ञ के साथ बैठक कर परिणाम अर्जित किये जायें, आपको बताते चलें कि सरकार की बदलती हुई नीतियों के कारण वर्तमान इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा व्यवस्था पर परिवर्तन आवश्यक है पाठकों को याद होगा कि इस सम्बन्ध में पिछले अंको में गजट के माध्यम से यह सूचना दी गयी थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पाठ्यक्रमों का उच्चीकरण आवश्यक अवधियों का किया जाये पुनर्निरीक्षण इन्हीं दोनों बातों को लेकर बोर्ड ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

सत्य तो यह है कि प्रदेश में एक मात्र बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही वह संस्था है जो वैधानिक स्वरूप को प्राप्त किये हुए शासकीय आदेश से लैस है अस्तु पहल बोर्ड को ही करनी होगी मान्यता का मामला दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है आज नहीं तो कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलनी ही है लेकिन मान्यता के लिए जो आवश्यक मापदण्ड हैं वह हमें ही पूरे करने होंगे।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 18 नवम्बर 1998 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ने केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को आदेश में दिये गये बिन्दुओं के अनुरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाना है लेकिन हमारे साथियों ने प्रतिवेदन लिख–लिख कर केन्द्र सरकार पर मान्यता के लिए दबाव डाला तब केन्द्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा उस समिति के सदस्यों ने कई दौर की बैठकें कर सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए जो आवश्यक मापदण्ड होने चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी उसे पूरा नहीं करती है अस्तु इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की जा सकती।

उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह हम सब जानते हैं समय बीता परिवर्तन हुआ हमें काम करने के अवसर के साथ साथ केन्द्र व राज्य सरकार से अधिकार भी प्राप्त हुए। 25 नवम्बर 2003 के उस आदेश को पूरे 13 वर्ष बीत चुके है इन 13 वर्षों में बहुत कुछ तेजी के साथ बदला है आज फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता कु मुहाने पर है अस्तु नई परिस्थितियों का हमें ही सामना करना है।

यदि समय रहते हमने अपने आधारभूत ढांचे में व्यापक परिवर्तन नहीं किये तो किसी भी सम्भावना को हम इंकार नहीं कर सकते । हम नहीं चाहते है कि कोई पुनरावृति न हो अस्तु समय सीमा के अन्दर ही शिक्षा चिकित्सा व औषधि निर्माण के क्षेत्रों को मानकयुक्त व मापदण्डों के समकक्ष बनाये।

बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ने इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है सूत्रों के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिये है कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे और यह परिवर्तन गुणवत्ता युक्त होंगे जिनका असर आगामी सत्र से दिखायी देने लगेगा।

सच होती शून्य की कल्पना

शून्य का अपना बड़ा महत्व है,शून्य गणना प्रारम्भ करती है, शून्य से ही शिखर की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू होती है और शून्य के बाद जीवन की तलाश भी होती है यदि हम शून्य की महत्ता पर लिखें तो शायद शब्द कम पड़ जायेंगे शून्य एक बिन्दु है और शून्य एक आकार भी है। स्वामी विवेकानन्द ने शून्य पर बोलते हुए भारत को विश्वगुरू की दिशा में स्वीकारने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शून्य का तात्पर्य लगातार बढ़ती हुई आराजकता नित नई क्रियायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शून्य की तरफ़ बढ़ाने का संकेत कर रही है।

वर्ष 2003 से लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं इस तरह से यदि हम देखें तो 13 वर्षों के बाद भी स्थिरता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और यह अस्थिरता कभी भी प्रकृति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती . 2003 का वर्ष तो ठीक ठाक था लेकिन जाते–जाते जो प्रभाव छोड़ा उसकी लकीरे आज भी स्पष्ट दिखायी देती है। यह लकीरें किसी को थोड़ा और किसी को बहुत ज़्यादा दर्द दे गयीं जिसने दर्द सह लिया वह तो स्थिरता की तरफ आगे बढ़ गया और जो दर्द से चिढ़ गया और इस दर्द को दूर करने के लिए जो टेढ़े–मेढ़े उपाय किये गये उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। 2003 तक प्रदेश में बहुत सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें संचालित हो रही थीं जो शैक्षिणक गतिविधियों में लिप्त थीं, इन गतिविधियों में निरन्तरता बनाये रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन हेतु जिन निर्देशों का पालन करना था उन्हीं निर्देशों के पालन में कुछ संस्थाये अपने आपको सक्षम नहीं पा रही थीं फलतः उन संस्थाओं ने सामुहिक रूप से माननीय उच्च न्यायालय में एक संस्था प्रमुख की अगुवाई में याचिका दाखिल की याचिका निरस्त हुई और जो परिणाम आये वह सुखद नहीं थे।

अन्य संस्थायें तो शान्त होकर बैठ गयीं लेकिन जो नेतृत्वकर्ता संस्था थी उसे चैन नहीं आया और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी, वहां पर भी वही हुआ जो पहले से ही अपेक्षित था सारा प्रदेश उनकी इस क्रिया से आहत था लोगों के मन में आक्रोश भी था, कुछ समर्थक थे, कुछ विरोधी परिणाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का परिदृश्य ही बदल कर रह गया लेकिन उस व्यक्ति को धन्यवाद है जिसने भी इन परिस्थितियों पर टिप्पणी की थी कि शून्य से हम शिखर की तरफ चलेंगे। कहने और सूनने में यह शब्द बहुत अच्छे लगते हैं शून्य से शिखर की कल्पना भी अच्छी है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि शिखर से शून्य में आने के बाद पुनः शून्य से शिखर की तरफ बढ़ने की कल्पना और क्रिया कितनी कष्टदायक व पीड़ादायक होती है! यह तो सिर्फ भोगने वाला ही जानता है, शिखर तक तो आज तक नहीं पहुँचे ! मात्र शून्य की सीमा तोड़ने में हलकी सी सफलता अवश्य मिली है । 2003 से 2016 तक इन तेरह वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने अनेक रंग देखे परन्तु किसी भी रंग में अपने को रमा नहीं पाई, खोने एवं पाने की प्रक्रिया कब बन्द होगी यह तो कोई भी नहीं जानता ! इस किन्तु एवं परन्तु से हमें बाहर निकलना है और स्थिरता की राह स्वयं ही खोजनी होगी क्योंकि बिना स्थिरता के सारी क्रियायें निरर्थक रहती हैं, सार्थकता के लिये सकरात्मक विचारों के साथ–साथ स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति का होना अतिआवश्यक है, नीतियों को बनाने के बाद उन पर चलना हमारा ही कर्तव्य है और इसी कर्तव्य पथ पर चलते हुये सफलता की एक नई इबारत लिखने की सोच होनी चाहिये। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियां यदि बहुत ज़्यादा सापेक्ष नहीं हैं परन्तु इतनी भी खराब नहीं हैं कि कार्य ही नहीं किया जा सके, हम सभी को चाहिये कि कार्य करते हुये ऐसी परिस्थितियों को जन्म दें जो कि शिखर तक पहुँचने की कल्पना को धीरे–धीरे मूर्त रुप दे।

आज जिस परिस्थितियों से हम लोग गुज़र रहे हैं वह इस बात के स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि स्थितियों में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, ऐसे में तो वही लोग टिके रह पायेंगे जो वास्तविक रुप से कर्तव्य को ही आधार बना कर बढ़ेंगे।

जिन किसी ने भी शून्य से शिखर की कल्पना की बात की थी , भले ही उस समय मज़ाक हो ! पर आज यही सही सच हो रही है।

गर्त में ले जायेंगी नित्य होती प्रयोगिक क्रियायें

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा हर व्यक्ति इस प्रयास में लगा है कि किसी भी तरह से इस चिकित्सा पद्धति को एक स्थायी स्थान प्राप्त हो, वर्षों से चली आ रही दुविधा की स्थिति को विराम मिल सके, वैधानिकता के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो और शासकीय संरक्षण की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी हो यह सारी बातें धीरे–धीरे पाने के प्रयास में हम सभी लगे हैं परन्तु तरीके अलग–अलग हैं। तरीके चाहे कितने भी अलग क्यों न हों परन्तु जब उद्देश्य एक होता है तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा तो की ही जा सकती है तमाम सारे उहापोहों के बाद अन्ततः 21 जून, 2011 अवं 04 जनवरी, 2012 को क्रमशः भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किये वह पूरे देश में कार्य करने की अधिकारिता प्रदान करते हैं और 4 जनवरी, 2012 का आदेश विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में वैधानिकता एवं अधिकारपूर्वक कार्य करने की राह प्रशस्त करता है काम करने के वे सारे अधिकार हमें प्रदान करता है जो किसी भी अधिकारिक चिकित्सक के लिए आवश्यक होती है।

आज पूरे देश की स्थिति यह है कि कार्य करने के स्थान पर मान्यता और अन्य विषयों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि बिना प्रयास के कभी कुछ मिलता नहीं है लेकिन कभी–कभी अति उत्साहित लोग ऐसा प्रयास कर देते हैं जो आत्मघाती होने के साथ साथ समाजघाती भी होते हैं। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी प्रयास हो रहे हैं यदि उसपर हम एक सम्यक दृष्टि डालें तो जो कुछ भी तथ्य सामने आता है वह कदाचित हमें उत्साहित नहीं करता अधिकांश प्रयास तो स्वयं को स्थापित करने के लिए ज़्यादा हो रहे हैं चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने के लिए नहीं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अच्छी खासी बनी बनायी स्थिति डगमगाती रहती है,खुद अधिकार पाने का स्वाद लोगों को इतना अच्छा लगता है कि समान्य अधिकारों से उनकी क्षुधा शान्ति नहीं होती है जिजीविषा की स्थिति यह है कि अपने अलावा कोई अन्य दृष्टिगोचर ही नहीं होता है जबकि सत्य यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति पर किसी एक एकाधिकार होता ही नहीं है जब चिकित्सा पद्धति का प्रचार व प्रसार होता है तो वह अधिकार अंशो में बंटकर हर चिकित्सक को अधिकार प्रदान करता है पूर्ण अधिकार और एकाधिकार दोनों ही शब्द किसी भी चिकित्सा पद्धति को आगे तक नहीं ले जा सकते, कारण एकाधिकार अहं को जन्म देता है और जहां अहं होता है वहां विकास या प्रगति की कल्पना दिव्यस्वपन की भाँति है। किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं पहली पद्धति की वैधानिकता व उसकी अधिकारिता दूसरी चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता। उपयोगिता का सिद्धीकरण उसकी औषधियों और रोगियों के लाभ पर निर्भर करती है, यद्यपि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दोनों बातें बराबर रूप से उपस्थिति हैं वैधानिकता और अधिकारिता के नाम पर 21 जून, 2011 व 4 जनवरी, 2012 जैसे राष्ट्रीय व प्रादेशिक शासकीय आदेश प्राप्त हैं। औषधियों के लिए बहुत पहले ही यह सिद्ध हो चुका था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया से संलिप्त हैं और उनके निमार्ण में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है यह औषधियां वैधानिकता और तथ्यता की कसौटी पर खरी उतर चुकी हैं। परिस्थितियां साम्य हैं परन्तु हमारे साथियों को इन परिस्थितियों की स्वीकारता नहीं है, तभी तो हर कोई कुछ नया करने को आतुर रहता है और इसी नये पन के चक्कर में कुछ ऐसा करता रहता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कतई उचित नहीं है। यद्यपि वर्तमान में कुछ ही संस्थायें शैक्षणिक कार्य कर पा रही हैं जो संस्थायें शैक्षणिक कार्य नहीं कर पा रही हैं वह तरह–तरह के अजीबो–गरीब ऐसे कार्य कर देती हैं जो परिस्थितियों में नया मोड़ दे देते हैं। आपको याद होगा कि जब पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर गाज सी गिरी थी उसके बाद किसी एक संस्था को कार्य करने का आदेश प्राप्त हुआ यद्यपि उस संस्था ने कभी भी इसपर अपना एकाधिकार नहीं जमाया उसका कहना था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए लेकिन जो पहले से कार्य कर रहे थे उनके मन में कहीं न कहीं यह टीस थी कि एक आदेश उन्हें या उनकी संस्था को मिल जाता, जिससे वह भी अपनी अधिकारिता का बखान कर सकते इसी चाहत में न्यायालय की शरण में गये, उच्च न्यायालय में हारे, तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली, उनका भाग्य था कि मान्यता के प्रकरण में भारत सरकार ने एक हल्फ़नामा दिया था जिसमें लिखा था कि जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में रोक नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के इस हल्फ़नामें का संज्ञान लिया गया और योजित विशेष अनुज्ञा याचिका पर निर्णय दिया गया, जिसका कि हमारे साथियों ने गलत ढंग से प्रस्तुतीकरण करके अपने पक्ष में हवा बनाने का पूरा प्रयास किया, आंशिक सफलता भी मिली 22 जनवरी, 2015 का वह आदेश जो वस्तुतः किसी के लिए आदेश नहीं है लेकिन उसकी शब्दावली का लोगों ने मनचहा उपयोग किया अब जब भी कहीं मुकदमा लगता या लगाया जाता है तो उस मुकदमें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 22 जनवरी, 2015 के आदेश का उल्लेख अवश्य होता है। न्यायालयों द्वारा इस आदेश का जो संज्ञान लिया जा रहा है वह कोई अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, पिछले दिनों बाम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान 22 जनवरी, 2015 के आदेश का जो परिणाम निकाला और परिणामोंपरान्त जो आदेश जारी किये वह कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं हमें भय है कि जिस तरह किसी भी चीज़ का अत्यधिक दोहन उसकी समाप्ति का संकेत देते हैं ठीक इसी तरह से 22 जनवरी, 2015 के आदेश का अत्यधिक प्रयोग एक नई समस्या को कहीं जन्म न दे दे ?यदि कभी 22 जनवरी, 2015 के आदेश का परीक्षण हो गया तो परिणाम क्या होंगे ?यह तो हम नहीं जानते लेकिन कल्पना अच्छी नहीं है। ठीक इसी तरह से दूसरा पहलू औषधि निर्माण से जुड़ा है पहले औषधि की कमी बतायी जाती थी आज कितनी कम्पनियां औषधि निर्माण के क्षेत्र में कूद चुकी हैं कि कभी–कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का निर्माण एक कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। जिसे भी देखिये एक कम्पनी बना लेता है और औषधि निर्माण और विपणन का कार्य प्रारम्भ कर देता है।

दवाईयां बनाना बेचना उनकी गुणवत्ता बनाये रखना अच्छी बात है, प्रगति का सूचक है, लेकिन जब औषधि निर्माण के सिद्धान्तों के साथ छेड़–छाड़ की जाती है तो स्थितियां बहुत दिनों तक अपने पक्ष में नहीं रह सकतीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐस्पेजरिक बनाने की अपनी एक अलग विधि है आज इससे ही छेड़–छाड़ हो रही है नये के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है वह इस तरफ़ सोचने को विवश करता है कि नये पन का यह प्रयास कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को गर्त में न ले जाये।

यदि समय रहते हम न चेते तो गम्भीर परिणामों को वह भुकतेंगे जिनका कोई दोष नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथ खुल कर सामने आयें

उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है, सारे देश की राजनीति यहीं से चलती है, हर परिवर्तन की बयार यहीं से होकर पूरे देश को छूती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी उत्तर प्रदेश से निकल कर पूरे देश में पली बढ़ी और हर आन्दोलन का केन्द्र भी उत्तर प्रदेश ही रहा है और इसे हम सौभाग्य ही कहेंगे कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद केन्द्र और राज्य सरकार के आदेश भी इसी उत्तर प्रदेश आधारित संस्थाओं को ही प्राप्त है, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्गत 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4 जनवरी, 2012 का शासनादेश उत्तर प्रदेश की मूल संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के नाम जारी किया गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कर्मभूमि के साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना के लिए सबसे आगे रहती है, ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में काम नहीं हुआ है अन्य राज्यों में भी कार्य हुआ है, आन्दोलन भी हुए हैं और प्रयास किये गये और किये जा रहे हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में हमारे सभी साथियों की भूमिका है अपना–अपना योगदान है कोई प्रत्यक्ष है और कोई परोक्ष। कुछ प्रयास फलीभूत हुए और कुछ प्रयास मात्र प्रयास बन कर रह गये परन्तु छाप सबने छोड़ी, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ सकारात्मक आदेश ही आये हैं, उत्तर प्रदेश ने बहुत झेला है, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से ही एक ऐसा आदेश निकला था जिसने हमारे विकास को उन्नयन से अवनयन को ला दिया था, इस प्रदेश में राजनीति बहुत है, एक दूसरे को उठाने और गिराने की पुरानी आदत है। उत्तर प्रदेश मूलतः पूर्वी और पश्चिमी राजनीति से प्रभावित होता है मध्य भाग सदैव से शान्त रहने वाला है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कभी पूर्व गरजता है, तो कभी पश्चिम बरसता है, कुछ दिनों पहले पूर्व के एक महात्मा जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर स्वयं के आधिपत्य की घोषणा की थी बड़े–बड़े दावे हुए पंजीकरण का मुलम्मा भी चढ़ाया गया, पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। बार–बार चढ़ानी है तो हांडी को धातु को होना पड़ता है पूर्व शान्त हुआ पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर अपना अधिकार जमाना चाहा तथा यह बताना चाहा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं है ! बोर्ड की अधिकारिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मेरठ और अलीगढ़ मण्डलों के कुछ जन सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसी–ऐसी जन सूचना मंगवायी जो स्वीकारणीय ही नहीं थी लेकिन जो आता है उसे पढ़ना ही पड़ता है। अलीगढ़ के बाद बुलन्दशहर फिर हापुड़ जनपदों के जन सूचनाधिकारियों के माध्यम से जो घातक सूचनायें हमारे सीधे–साधे चिकित्सकों के मध्य फैलायी गयीं उससे एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी समाज में हर समय दो तरह के व्यक्ति होते हैं एक वह जो हर परिस्थितियों में ढलकर कार्य करना पसन्द करते हैं दूसरे वह जो सिर्फ सूचनायें एकत्रित करने में भरोसा करते हैं। सनसनीखेज जानकारियां लेना और देना उनका पेशा होता है और मज़ा तो तब आता है जब सूचना के नाम पर यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सेवक गलत सूचनाओं का तो व्यापक प्रचार करते हैं लेकिन तब इन घातक सूचनाओं का वास्तविक अर्थ सामने आता है तो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हम इन सब गतिविधियों से ऊब गये तब इहमाई और बोर्ड ने संयुक्त रूप से प्रयास किये और प्रयास का परिणाम यह हुआ कि वहां के अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए बोर्ड की अधिकारिता को यह कहते हुए स्वीकार किया कि शासनादेश उनके संज्ञान में नहीं था तथा शासनादेश की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा तथा साथ ही यह भी कहा कि वह बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सकों के प्रकरण को सकारात्मकता से देखते हुए पंजीयन करेंगे पिछले अंक में हमने पाठकों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी हापुड़ का पत्र प्रकाशित किया था अब जब इतना अधिकार मिल गया है तो बोर्ड भी अपने चिकित्सकों से अपेक्षा करता है कि उदासीनता का भाव छोड़कर अधिक से अधिक संख्या में अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों को प्रेषित करें। हमारा प्रयास आपका सहयोग और अधिकारों के प्रति जागरूकता से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास होगा केवल पत्र व्यवहार से या जन सूचना अधिकार से विकास नहीं होना, सफलता की कुंजी कार्य से है आप कार्य करें यदि कोई कार्य में रोड़ा अटकाता है तो हम बार–बार प्रयास करते रहेंगे। जब तक कार्य नहीं होगा तब तक सरकार हमारे बारे में क्या सोचेगी ?हम दावें चाहे जितने कर लें पर दावे का निस्तारण कार्य से ही सम्भव है पूर्व हो या पश्चिम–उत्तर हो या दक्षिण जब विकास की धारा बहेगी तब कोई अछूता नहीं रहेगा।

मान्यता पानी है तो सोच और नीति बदलनी होगी

किसी भी चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों की यह इच्छा होती है कि वह जिस चिकित्सा पद्धति से जुड़ा है उस चिकित्सा पद्धति को पूर्ण वैधानिक दर्जा मिले और मान्यता मिले जिससे कि वह सर उठाकर कह सके कि वह जिस चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक है वह अन्य चिकित्सा पद्धतियों से किसी भी तरह कम नहीं है इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि लगभग डेढ़ सौ वर्षों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में प्रचलित है।

इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक लगातार इस चिकित्सा विधा का प्रयोग करते हुए लोगों को स्वास्थ्यलाभ दे रहे हैं लेकिन अभी तक इस पद्धति को मान्यता के दर्शन नहीं हुए। भारत वर्ष में भी यह चिकित्सा पद्धति चरम पर रही है लाखों की संख्या में इस विधा के जानकार अपनी अपनी क्षमता से इस विधा का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य में अपनी सहभागिता कर रहे हैं, सामान्य व्याधियों से लेकर गम्भीर बीमारियों को ठीक करने का दावा हमारे चिकित्सकों ने ठोंका और कसौटी पर खरे भी उतरे। कुष्ठ और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने जो चमत्कारिक परिणाम दिये वह चौंकाने वाले थे कुछ चिकित्सकों ने एडस पर भी सफलता का दाव किया है भले शत प्रतिशत सफलता न मिली हो परन्तु कुछ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने प्रभाव डाला ही होगा। इस तरह से कार्य हो रहा है लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसी भी अधिकरण न गठित होने के कारण हमारे कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है इसी के कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य के आधार पर वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिये। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के आन्दोलन की धार लगातार कुंद पड़ती जा रही है ज्यों–ज्यों समय बीतता जा रहा है सरकार मान्यता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मान्यता हमारा अधिकार है, मान्यता हमें मिलनी ही चाहिये लेकिन बदली परिस्थिति में मान्यता कैसी ली जाये ?इस पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा मान्यता पर जो परम्परागत ढर्रे हैं, जिनपर हम सब कार्य कर रहे हैं, धीरे–धीरे वह प्रभावहीन होते जा रहे हैं धरना देकर, प्रदर्शन करके, आन्दोलन करके, सरकार का ध्यानाकर्षण तो किया जा सकता है लेकिन किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप ज़्यादा धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार एक कमेटी गठित कर देगी मान्यता की रिपोर्ट मांगेगी और वर्षों का समय नष्ट कर देगी। जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो सरकार एक मान्यता बिल प्रस्तुत कर देती है वर्षों पड़े रहने के बाद भी उसपर कोई चर्चा नहीं होती है फाइलों का ढेर बढ़ता जाता है, धूल की परत मोटी होती जाती है लेकिन मान्यता का प्रकरण जहाँ था वहीं खड़ा रहता है।

हमारे कुछ साथी बड़ा प्रयास करते हैं सांसदों विधायकों से मिलते हैं प्रश्नकाल में प्रश्न उठवाते हैं पर होता क्या है ?पिछले दिनों कुछ लोगों ने फिर ऐसे ही प्रयास किये प्राईवेट मेम्बर बिल के सहारे मान्यता का मुद्दा उठाने का प्रयास किया गया, फोटो खिंचवाई गयी, सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, पर हुआ क्या ? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको बैठकर परस्पर विद्वेष मिटाकर गम्भीर चिन्तन करना होगा यदि अब भी हमने ऐसा नहीं किया तो पीढ़ियां गुज़र जायेंगी और हम मान्यता की आस लगाये ही बैठे रहेंगे।

हमें विचार करना चाहिये कि योगा और सोवा रिग्पा जैसी पद्धतियों को मान्यता कैसे मिली ? न कोई शोर, न कोई आन्दोलन, न कोई धूम–धड़ाका। एक प्रस्ताव आया सरकार का समर्थन मिला और मान्यता मिल गयी इसलिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा पुरानी सोच को बदलना होगा और नये उत्साह के साथ मान्यता की तरफ बढ़ना होगा अब वह निर्णायक समय आ गया है जब सामूहिक स्तर पर ऐसा नीतिगत निर्णय लिया जाये जो सकारात्मक हो और उपयोगी भी हो।

बोर्ड की सेमेस्टर परीक्षायें 27 से प्रारम्भ

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की दिसम्बर सेमेस्टर परीक्षायें क्रमशः F.M.E.H. एवं A.C.E.H. की परीक्षायें 27 दिसम्बर से प्रारम्भ हो रही हैं सभी परीक्षायें एक पाली में होंगी यह जानकारी बोर्ड के परीक्षा प्रभारी/रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने गज़ट को एक भेंट में दी। उन्होंने बताया कि सभी प्रवेशपत्र सम्बन्धित केन्द्रों को भेजे जा चुके हैं, परिक्षार्थी अपने केन्द्रों से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें, परीक्षा कार्यक्रम निम्न प्रकार है।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE, U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION December 2016

Name of the course	27th December, 2016 Tuesday	28th December, 2016 Wednesday	29th December, 2016 Thursday	30th December, 2016 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy & Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	Midwifery Gynics, Opthalmology & Practice of Med.

Timing → 10:00 A.M. to 01:00 P.M.

Atiq Ahmad
Examination Incharge

चिकित्सकों के अन्दर भी छात्रों सा उत्साह हो

किसी भी चीज़ अथवा ज्ञान को पाने के लिए उत्साह का होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उत्साह जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और यही हमारे कार्य में सुग्रहिता को जन्म देता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए भी उत्साह का होना बहुत आवश्यक है बिना उत्साह के कोई भी कार्य प्रगतिपूर्ण नहीं होता है।

आपके पास सबकुछ उपलब्ध हो और उस प्राप्त वस्तु या प्राप्त अधिकार को उपभोग करने के लिए उत्साह न हो तो अच्छी से अच्छी उपलब्धि भी व्यर्थ हो जाती है और जहाँ पर उत्साह होता है वहाँ हर काम भले ही वह कितना कठिन क्यों न हो उत्साह के चलते तत्काल पूरा हो जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास कार्य करने के सारे अधिकार हैं और यदि हमारे साथी अधिकारिता पूर्वक इन अधिकारों का प्रयोग करते होते तो शायद स्थिति आज बहुत अच्छी होती ! हम जिन अधिकारों के लिए आज भी स्वयं को पाने के लिए खोज रहे हैं वह अधिकार 4 जनवरी, 2012 को उ0प्र0 चिकित्सा अनुभाग 6 द्वारा ही हमको दिये जा चुके हैं यह आदेश इतना प्रभावी है कि जब तक इस चिकित्सा पद्धति को पूर्ण मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक यह शासनादेश ही लाभकारी रहेगा लेकिन इस आदेश के आने के पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी हम सब वह नहीं पा पाये जो हमारे चिकित्सकों को प्राप्त होना चाहिये था।

यदि हम इस स्थिति पर एक दृष्टि डालते हैं तो यही नज़र आता है कि हमारे चिकित्सक पता नहीं किस हताशा में हैं जो अच्छी से अच्छी उपलब्धि को भी उपभोग में नहीं ला पा रहे हैं इसके पीछे कहीं न कहीं जो कारण छिपा है वह है उत्साह हीनता ! उत्साह का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी रास्ता बहुत लम्बा है और इसी रास्ते पर चलते हुए हमें प्रगति का रास्ता ढूढ़ना है। उत्साह के जो कारक होते हैं उसमें सबसे प्रमुख कारण होता है दृढ़मनः स्थिति, हमें याद आता है कि जब कोई नया छात्र प्रवेश लेता है तो उसके मन में बहुत उत्साह होता है वह अपने भावी भविष्य के लिए हर चीज़ बड़े उत्साह से लेता है विद्यालय भी आता है कक्षायें भी नियमित रूप से अटेंड करता है तथा जो भी कोई आन्दोलन या कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है और जितने भी अवधि का पाठ्यक्रम होता है उसे सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करता है।

ठीक इसी तरह से व्यवसाय के लिए सारी औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त जब वह अपने व्यवसाय में बैठा है तो उसे उत्साह के साथ काम करने में बड़ा आनन्द आता है परिणाम स्वरूप उसे वह सब उपलब्ध होता है जिसकी अपेक्षा वह करता है।

आज इसी तरह के भाव की आवश्यकता हमें अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के अन्दर दिखायी पड़ती है क्योंकि समय के साथ जो कोई नहीं चलता वह बहुत पिछड़ जाता है, पहले हम सारे के सारे लोग इस बात के लिए आन्दोलन करते थे कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई सरकारी आदेश आ जाये, प्रयासों के बाद 4 जनवरी, 2012 का आदेश आया वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और जिस चीज़ के लिए हम लोग वर्षों से संघर्ष रत थे वह प्राप्त हुआ ऐसा नही है कि 4 जनवरी, 2012 का आदेश आसानी से प्राप्त हो गया होगा वर्ष 2003 के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूरे देश में जो स्थिति हुई वह तो यही बताती थी कि शायद अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पुर्नजन्म ही मुश्किल से होगा, लेकिन देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों और प्रदेश के चिकित्सकों के मनोभाव का परिणाम था कि सत्य की विजय हुई 25 नवम्बर, 2003 को जिस आदेश के कारण पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अवनयन प्रारम्भ हुआ था वही 25 नवम्बर, 2003 का आदेश संजीवनी बनके काम आया 5-5-2010 को भारत सरकार के स्पष्टीकरण के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दिन बदलने लगे थे सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि जिस बन्दी की बात बार-बार की जा रही थी वह बन्दी सरकार द्वारा कभी की ही नहीं गयी थी। लेकिन 5-5-2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण निकला प्रयोगिक नहीं था तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने प्रयास किये और वह एतिहासिक आदेश निकाला जो पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 21 जून, 2011 का वह आदेश जो पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की स्पष्ट अनुमति देता है साथ-साथ इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी केन्द्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का अनुपालन कर क्रियान्वित करें इसी आदेश का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 जैसा महत्वपूर्ण आदेश पारित किया और उत्तर प्रदेश राज्य भारत का वह पहला राज्य बना जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई सकारात्मक शासनादेश जारी हुआ। आदेश आया सबने खुशियां मनायीं परन्तु लक्ष्य हमारा अभी भी पूरा नहीं हुआ हमारी इच्छा थी कि हमारा हर चिकित्सक अधिकारपूर्वक कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाये और प्रगति की लड़ाई के लिए हमारे सब साथी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढें लेकिन 5 साल बीत गये 2012 से 2017 आ रहा है लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं आया हमारे चिकित्सकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन तो हुआ लेकिन वह इसे आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं यदि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस अधिकार को स्वीकारा होता तो शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी यदि शिखर पर नहीं होती तो शिखर के आस पास ज़रूर होती लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है !

समय का चक्र बदलता है मनःस्थित में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन सब कुछ बदलने में सक्षम होता है। हम कर्मयोगी हैं और कर्म पर भरोसा करते हुए भविष्य की नीति निर्धारित करते हैं परिणाम कर्म से ही मिलते हैं यह कटुसत्य ही विकास ही राह दिखाता है हमारे चिकित्सक भी एक न एक दिन अपने अधिकारों को समझेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नया आयाम देंगे और यही आयाम हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे अच्छे भविष्य के लिये यह आवश्यक है कि हमारे कार्यों का समुचित मूल्य निकाला जाये तभी जिस अभिष्ठ के लिये हम सब प्रतिबद्ध हैं वह प्रतिबद्धता निभा सकें।

उ0प्र0 शासन
द्वारा
इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये
जारी शासनादेश
04 जनवरी, 2012
के
पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर
आयोजित अधिकारिता दिवस समारोह
दिनांक :- 04 जनवरी, 2017
दिन :- बुधवार
समय :- अपरान्ह 02:00 बजें
स्थान :- जय शंकर प्रसाद हॉल
(राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह)
कैसरबाग निकट बारादरी
लखनऊ
में
अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर
अपनी आवाज़
सरकार तक पहुँचायें
निवेदक

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0